न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—443/2015/225 (2015/00003)

1. बालकिशन पुत्र रामदेव, जाति रेगर, निवासी ग्राम सांवतसर, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. गोकुल पुत्र हरजी, जाति बलाई, निवासी ग्राम सिणगारा, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
2. भंवरलाल पुत्र मगना, जाति भांभी, नि0 ग्राम सिणगारा, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर हाल निवासी मकान नं0 697/2, भोपों का बाड़ा, अजमेर।
3. छोटु पुत्र मगना, जाति भांभी, नि0 ग्राम सिणगारा, तह0 रूपनगढ़, जिला जिला अजमेर ।
4. श्रीमती नाथी पत्नि मगना, जाति भांभी, नि0 ग्राम सिणगारा, तह0रूपनगढ़ जिला अजमेर । **(फौत) (नाम तर्क)**
5. खेताराम पुत्र देवा, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम नोसल, तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़, दिनांक 27.8.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 14/2014.

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 3 व 5 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 04.08.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 27.8.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. रेस्पोडेंटस/प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सिणगारा, तह0 रूपनगढ़ स्थित आराजी खसरा नंबर 525 रेस्पो0 संख्या 1, खसरा नंबर 522 रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 तथा आराजी खसरा नंबर 527 रेस्पो0 संख्या 5 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है । आराजी खसरा नंबर 524 की उत्तरी सींव के सहारे—सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करीब 15 चौड़ा रास्ता पूर्वजों के समय से चला आ रहा है जिसका प्रार्थीगण/रेस्पो0 अपने खेतों पर आने—जाने, कृषि उपज लाने ले जाने, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर

ट्रोली के आवागमन हेतु उपयोग करते चले आ रहे है किन्तु उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण/अपीलांट ने दिनांक 4.9.2012 को जे0सी0बी0 मशीन से डोल लगाकर बंद कर दिया है जिसे खुलवाया जाकर कायम किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण/अपीलांटस को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 27.8.2015 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस की खातेदारी भूमि में से नया रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 आदेश न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । पूर्व में प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन था किन्तु क्षैत्राधिकार हस्तातंरित होने से प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को हस्तांतरित कर दिया गया जिसकी प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन था किन्तु क्षैत्राधिकार हस्तातंरित होने से प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को हस्तांतरित कर दिया गया जिसकी वधिवत् सूचना दिये बगैर अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 19.2.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही संपादित कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है । रेस्पो0 ने स्थानीय सरपंच नन्दाराम थाकण व उसे राजनैतिक सहायोगी रामस्वरूप पुत्र अमरू खाचरिया के राजनैतिक प्रभाव में आकर अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा संख्या 524 में अवैधानिक रूप से नया रास्ता कायम करवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 ग्राम सिणगारा से सलेमाबाद जाने वाली पक्की रोड़ से होते हुए आराजी खसरा संख्या 523 की दक्षिणी मेड़ के पास–पास पूर्व से पश्चिम चलकर खसरा संख्या 522 की दक्षिण मेड़ के सहारे–सहारे चलकर खसरा नंबर 525 की उत्तरी मेड़ के पास–पास होते हुए खसरा नंबर 527 तक इनके पूर्वजों के समय से चले आ रहे थे । उक्त वैकल्पिक रास्ता मौके पर विद्यमान होते हुए भी रेस्पो0 ने दुर्भावनापूर्वक अपीलांट की आराजी में अपीलाधीन आदेश के माध्यम से नया रास्ता कायम करवाया है । अधी0न्याया0 ने उक्त स्थिति को नजरअंदाज कर अपीालधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र एवं अपीलांट के जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किये बिना केवल मात्र अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजी में निकटतम रास्ता मानते हुए खसरा नंबर 524 की मौका रिपोर्ट अपने पत्र क्रमांक 313 दिनांक 1.4.2015 के माध्यम से तहसीलदार, रूपनगढ़ को रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत् जो निर्देश दिये है वे अवैधानिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है । अधी0न्याया0 का दायित्व था कि वे रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अपीलांट के जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के मध्यनजर संपूर्ण वादग्रस्त आराजियात की मौका रिपोर्ट तलब कर विधिनुसार प्रकरण को निर्णित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने हल्का पटवारी द्वारा एकपक्षीय तैयार मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि राज0काश्त0अधि0 की धारा 251–ए के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित आज्ञापक नियम 69 के तहत भू–अभिलेख निरीक्षक से निम्न

श्रेणी के पद पर पदासिन व्यक्ति द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती है जबकि हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है जिससे भी अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2017 (24) पेज 687, आर0आर0डी0 14.7.2015 पेज 376, आर0बी0जे0 2019 (26) पेज 443, आर0बी0जे0 2016 (23) पेज 539, आर0बी0जे0 1998 (5) पेज 188 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट का अपील के दौरान यह कथन रहा है कि रेस्पो0/प्रार्थीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के न्यायालय में पेश किया गया तत्पश्चात् प्रकरण में अप्रार्थी की तलबी होकर अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र विचाराधीन थी। उक्त कार्यवाही के विचाराधीन रहते प्रकरण नवगठित उपखण्ड, रूपनगढ़ के क्षैत्राधिकार का होने से पत्रावली आदेशिका दिनांक 11.4.2014 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को अग्रिम कार्यवाही हेतु रूपनगढ़ मुकाम पर उपस्थित होने के आदेश पारित किये गये किन्तु इस संबंध में अपीलांट/अप्रार्थी अथवा उनके अधिवक्ता को किसी प्रकार की कोई सूचना अथवा नोटिस नहीं दिया गया जिससे उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को हस्तातंरित होने की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी तथा उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण में अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष पेश किया गया था जिसमें अप्रार्थी/अपीलांट की तामील होने पर अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा गया किन्तु उक्त कार्यवाही के विचाराधीन रहते हस्तगत प्रकरण नवगठित उपखण्ड, रूपनगढ़ के क्षैत्राधिकार का होने से राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ का पदस्थापन सृजित किये जाने से प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को हस्तातंरित करने के आदेश दिनांक 11.4.2014 को दिये है किन्तु उक्त पत्रावली को उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को हस्तातंरित किये जाने के संबंध में पक्षकारान को किसी प्रकार का नोटिस अथवा सूचना दिये जाने के सबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को हस्तातंरित किये जाने की सूचना अप्रार्थी/अपीलांट को रही हो । प्रकरण हस्तातंरित किये जाने की सूचना के अभाव में अपीलांट उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके तथा उनके विरूद्ध एकतरफा में कार्यवाही हुई एवं वे अपना पक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाये । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

6. इसके अतिरिक्त विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क है कि अधी0न्याया0 द्वारा तहसीलदार, रूपनगढ़ से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब करने के बजाय सीधे ही यह निर्देश दिये है '' इस न्यायालय में ग्राम सिणगारा के खसरा नंबर 525 रकबा 8–13–00, खसरा नंबर 522 रकबा 20–15–00 व खसरा नंबर 527 रकबा 19–15–00 के संबंध में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क भू0रा0अधि0 के तहत विचाराधीन है । वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजी के समीप कृषि भूमि खरा नंबर 524

स्थित है जो कि अप्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये रास्ते हेतु समीपस्थ है । खसरा नंबर 524 में से रास्ते में कितनी भूमि आती है जिसके रकबे की गणना कर सिचिंत असिंचित भूमि की डी0एल0सी0 दर सहित रिपोर्ट न्यायालय में शीघ्र प्रस्तुत करे । '' उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अधी0न्याया0 ने पूर्व से ही अपीलांट की भूमि में से रास्ता देने का मानस बनाकर एकतरह से तहसीलदार, रूपनगढ़ से अपीलांट की भूमि में से रास्ते में जाने वाली भूमि की गणना कर डी0एल0सी0 दर भिजवाने हेतु निर्देशित किया है जबकि अधी0न्याया0 को प्रार्थी की आराजी में रास्ते बाबत् प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की आराजी में आवागमन हेतु उपलब्ध है अथवा नही इस संबंध में भी मौका रिपोर्ट तलब करनी चाहिये थी । यह भी कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में जो रिपोर्ट भिजवाई गई है वह तहसीलदार द्वारा स्वंय अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार न की जाकर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर भिजवाई गई है जो धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 की मंशा के विपरीत होकर अमान्य है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध अधी0न्याया0 के पत्रांक 313 दिनांक 1.4.2015 का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के उक्त पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट न मंगवाकर केवल मात्र अपीलांट के खसरा नंबर 524 में से रास्ते में कितनी भूमि आती है तथा रकबे की गणना कर डी0एल0सी0 दर भिजवाने हेतु लिखा गया है जबकि अधी0न्याया0 को विवादित रास्ते बाबत् प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रास्ते एवं आसपास के खेतों के संबंध में भी तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करनी चाहिये थी । हम विद्वान वकील अपीलांट के इस कथन से भी सहमत है कि अधी0न्याया0 के समक्ष जो रिपोर्ट प्रेषित की गई है वह पटवारी हल्का सींगला द्वारा तैयार कर तहसीलदार, रूपनगढ़ के माध्यम से भिजवाई गई है तथा अधी0न्याया0 द्वारा इसी रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बने नियम के नियम 69 के तहत रास्ते के प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भू–अभिलेख निरीक्षक अथवा उससे उच्च अधिकारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर ही निर्णित किये जा सकते है किन्तु अधी0न्याया0 ने धारा 251–क के नियम 69 की अवहेलना कर केवल मात्र पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर रास्ते बाबत् अपीलाधीन आदेश पारित किये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे0 2017 (24) पेज 687 प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किये जाने से तथा धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 की मंशा के विपरीत केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पारित आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखने योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है । ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़, द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.8.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित रास्ते के संबंध में धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के परिप्रेक्ष्य में स्वंय

तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों की मौजूदगी में तैयार तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 04.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर